विक्रय-पत्र

पारित्यक विक्रय पत्र 1,50,000/-

बाजारी मूल्य जिस पर स्टाम्प दिया है 1,70,000/-रु0

स्टाम्प बोड की संख्या 17

स्टाम्प शुल्क 17,000/- बाबत विकास शुल्क [illegible] कुल स्टाम्प का योग 17,000/-रु0

मैं/हम कि श्रीमती [illegible] पत्नी श्री [illegible] निवासी 29/1 [illegible], [illegible] निवासी 2/20 [illegible] देहरादून, [illegible] निवासी ग्राम [illegible] देहरादून।

निम्नलिखित सम्पत्ति के [illegible], [illegible] देहरादून

के मालिक व काबिज है और हमारी वह सम्पत्ति हर प्रकार के भार से मुक्त है उसको बदस्त

को [illegible] पुत्र [illegible] निवासी 13/2 [illegible] एन्क्लेव, देहरादून।

विक्रय कर दिया है बदले मे विक्रय धन 1,50,000/-रु0 जो निम्न प्रकार वसूल पाया [illegible]

विवरण सम्पति अन्त में दिया गया है। बाके

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१000रु.

Rs 1000

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

88137

विक्रय-पत्र

मैं [illegible] पत्नी श्री [illegible] [illegible]

[illegible] देहरादून [illegible] 2/70 [illegible]

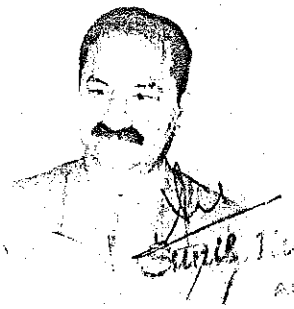

[illegible] पुत्र श्री [illegible]

निवासी ग्राम [illegible] जिला देहरादून का हूँ :-

--- विक्रेता ।

-2-

Sunil Kumar
Advocate
DEHRA DUN

[illegible]

[illegible] - 150000/ [illegible] 170000/

3400/ 10(3410/ 1000

[illegible]

[illegible]

28/3/2000

11/12

28/3/2000

Jbaks

15000/ [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1000Rs.

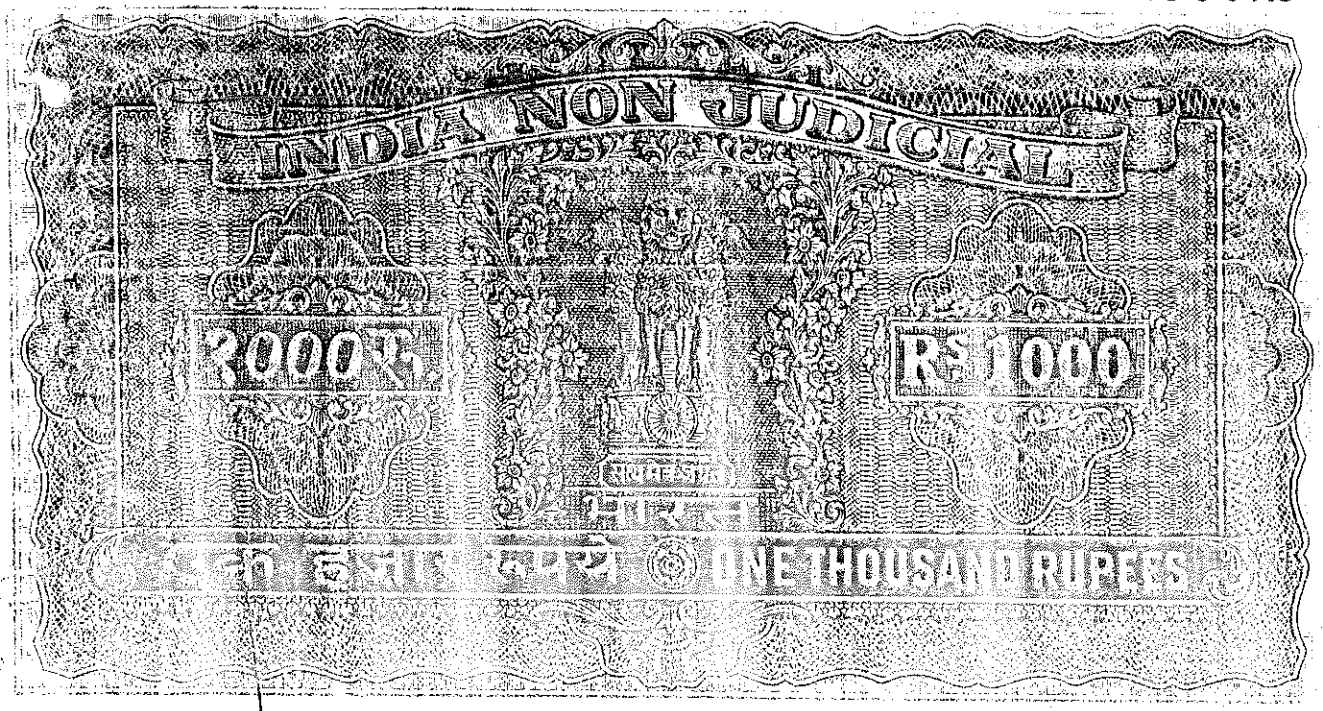

INDIA NON JUDICIAL

१००० रु. Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

88133

जो कि विक्रेता श्रीमती मन्जू दीक्षित ने इस विक्रय पत्र के अन्त मे वर्णित भूमि को बजरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दि0 9.7.1991 को श्री विनोद बिष्ट वसुधीर बिष्ट, पुत्रगण श्री बलम सिंह बिष्ट , निवासी 1-सी लक्ष्मी रोड, देहरादून द्वारा मुख्तारे आम श्री शिव कुमारदीक्षित पुत्र श्री मनोहर लाल दीक्षित निवासी 5 पटेल रोड ,

-3-

381/2 1000 /
28-3-2000

3811

[illegible] श्री [illegible]
[illegible] श्री [illegible]
[illegible]
[illegible]
पुत्र श्री [illegible]
निवासी [illegible]
ने को [illegible]

उप निबन्धक-I
देहरादून।
28/3/2000

28/3/2000

1000Rs.

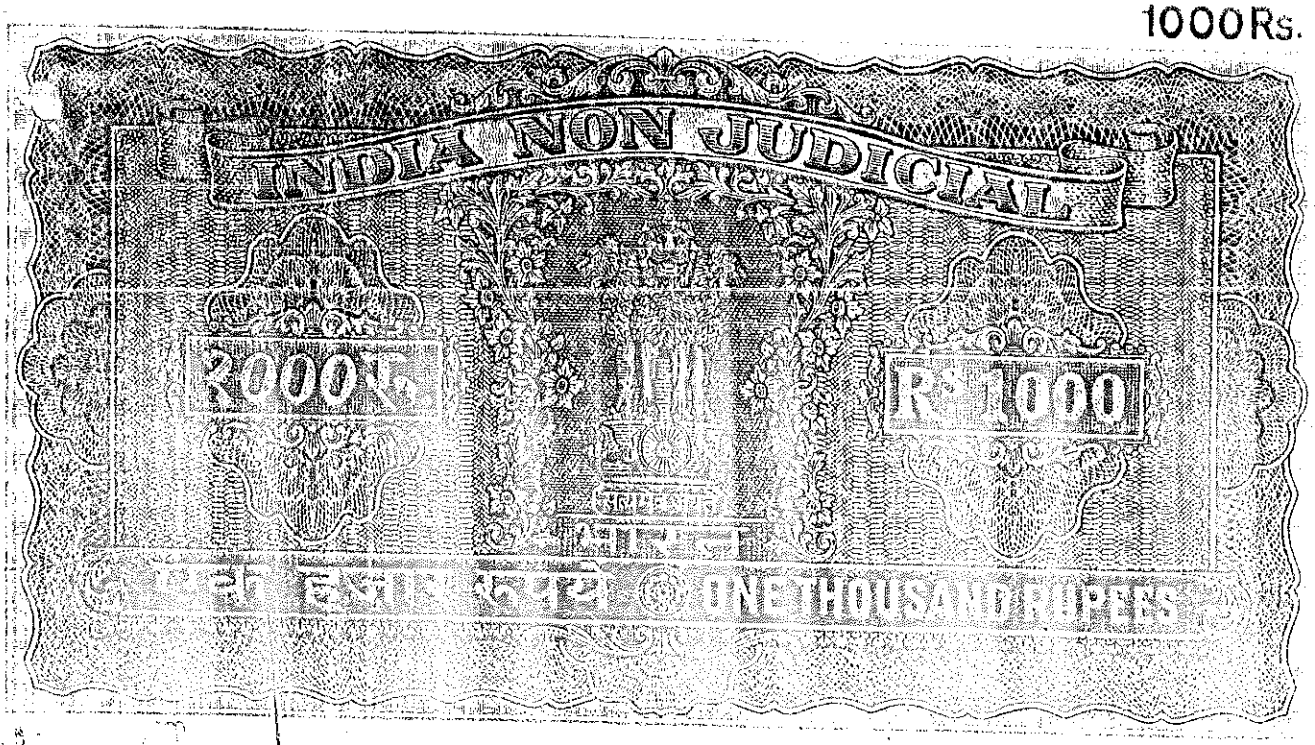

88139

देहरादून से खरीद ली थी जिसकी रजिस्ट्री तब रजिस्ट्रार कार्यालय देहरादून मे बही नं0 1 जिल्द 2694 के पृष्ठ 202 ए·डी·वा·बुक नं0 1 जिल्द 4185 के पृष्ठ 451/466 मे नं0 8928 पर दि0 17·7·91 को विधिवत् पंजीकृत है । खरीद की तिथि से निम्न भूमि विक्रेता श्रीमती मन्जू दीक्षित के ही स्वामित्व एवं अधिपत्य मे चली आ रही

-4-

1000Rs.

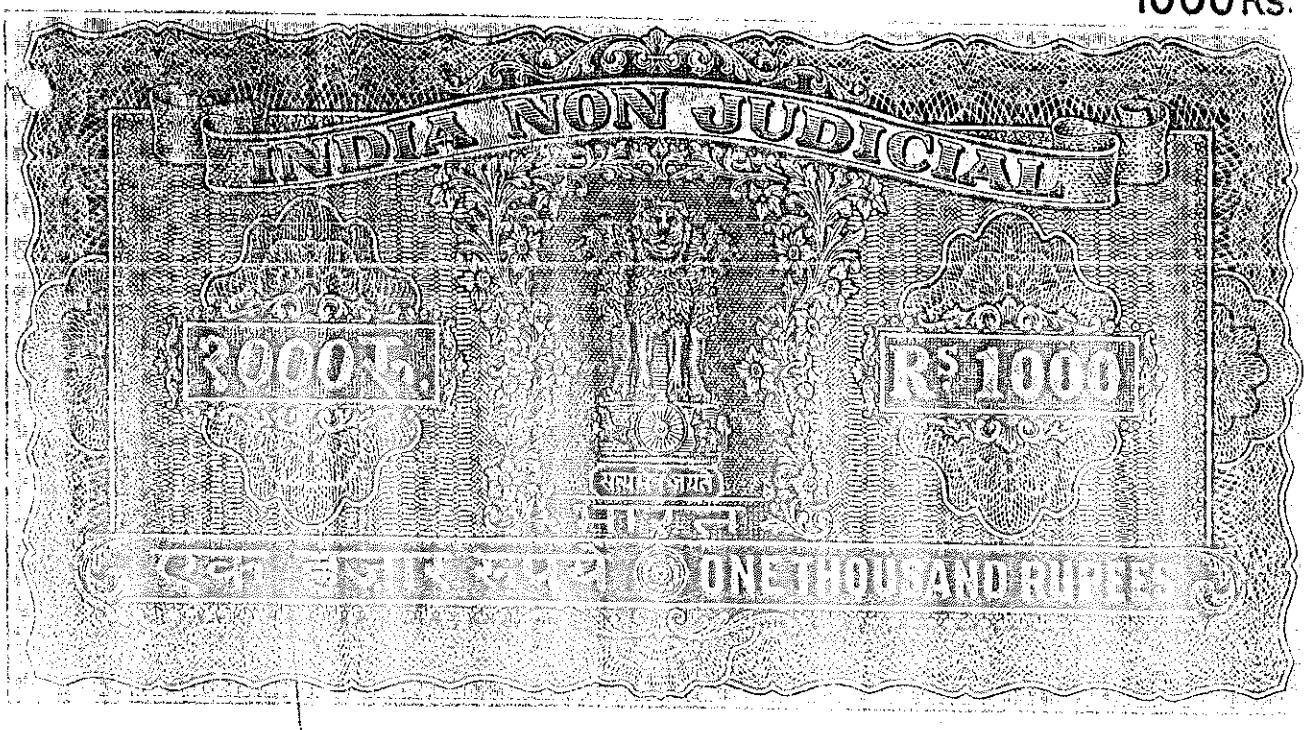

88140

है इस प्रकार विक्रेता को अपनी निम्न भूमि को हर प्रकार से विक्रय-हस्तान्तरण करने के मालिकाना अधिकार प्राप्त है, इसमें अन्य कोई साझीदार अथवा भागीदार नहीं है।

-5-

1000Rs.

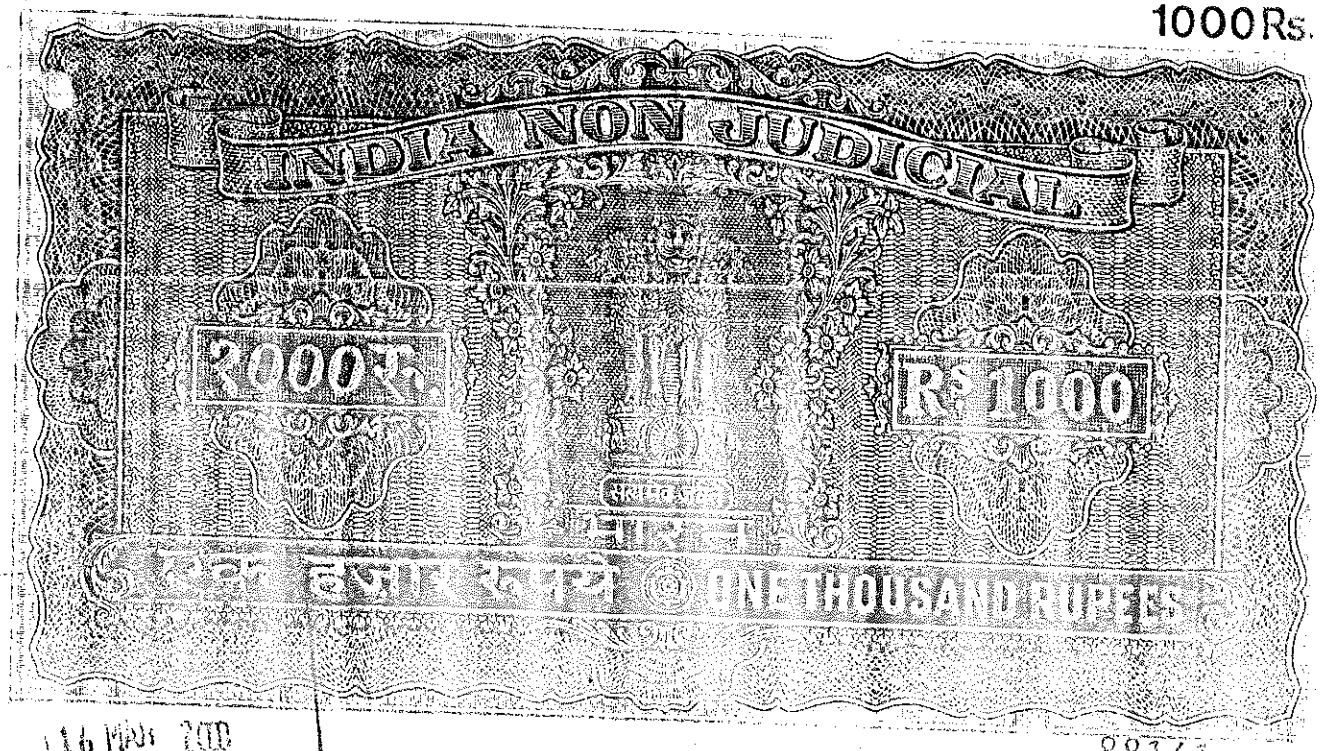

INDIA NON JUDICIAL

२000रु. Rs 1000

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

16 MAR 200

88141

और जो कि विक्रेता श्रीमती मन्जू शेखावत ने अपनी निम्न भूमि को विक्रय- हस्तान्तरण करने हेतु एक मुख्तार नामा आम श्री फूल सिंह के हक मे दिनांक 22-3-2000 को लिखकर दिया हुआ है जो सब रजिस्ट्रार कार्यालय अलीगढ मे दि0 22.3.2000 को पुस्तक सं0 4 खण्ड 169 के पृष्ठ 373 पर क्रम सं0 78 पर विधिवत् पंजीकृत है । जो आज भी प्रभावी है ।

1000Rs.

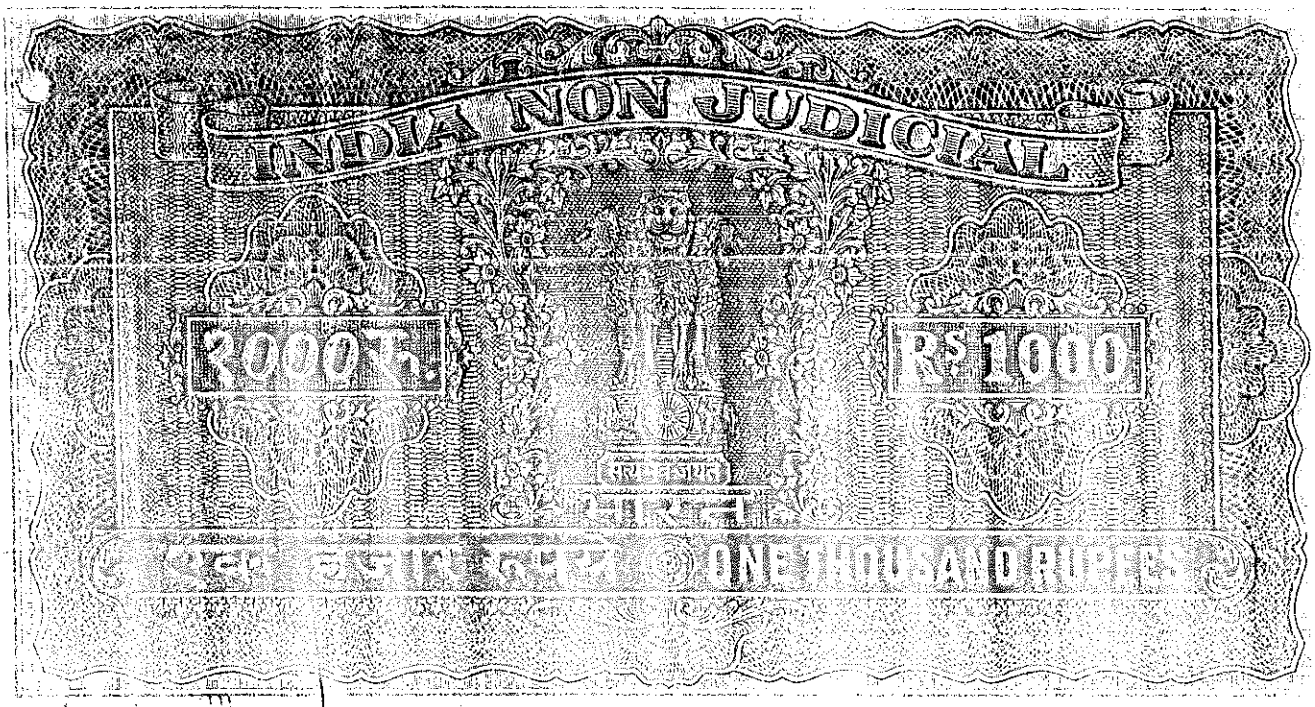

88142

और जो कि विक्रेता को निम्न भूमि आजतक हर प्रकार के भार बन्धन, रहन, बैय, जमानत, कुर्की, वाद- विवाद न्यायालय, वर्ग सरकारी व गैर सरकारी आदि से पाक व साफ है और पाक व साफ हालत मे ही भूमि बेची जा रही है ।

1000Rs.

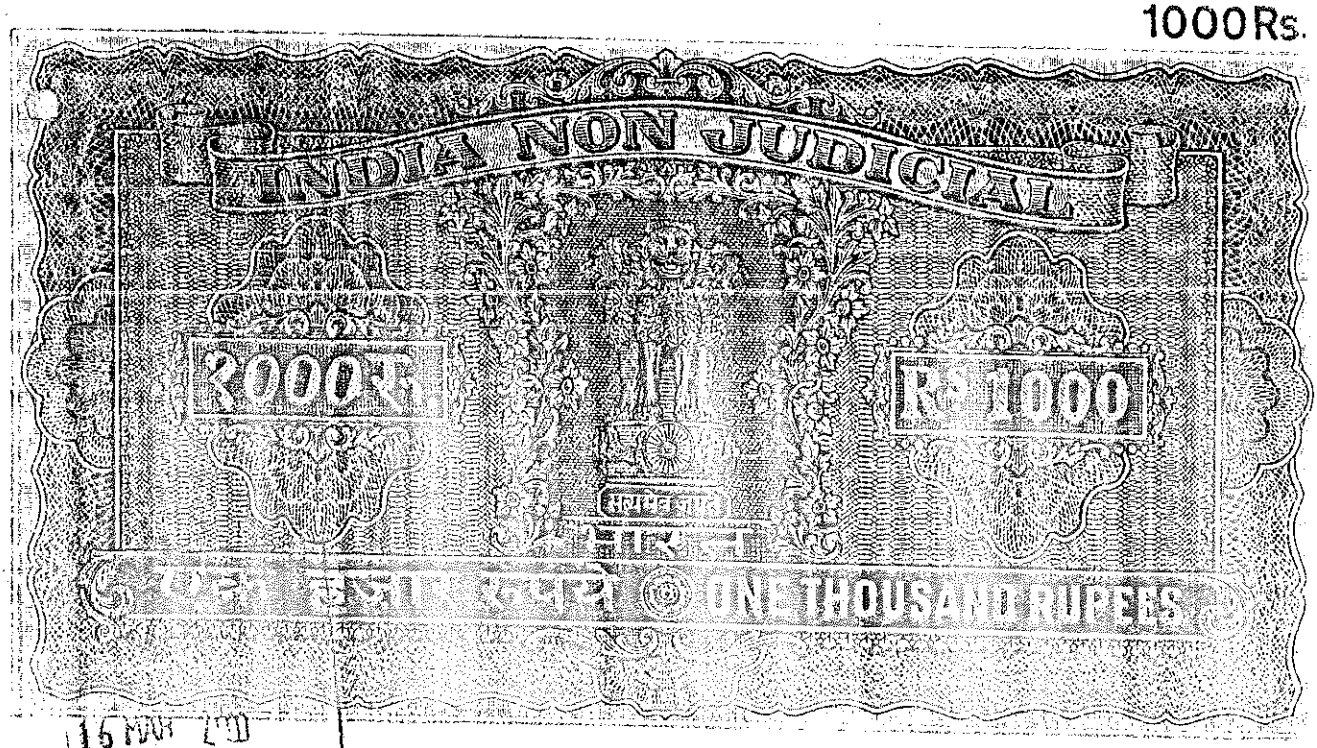

INDIA NON JUDICIAL

१000रु. Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

16 MAR 2000

88143

अत: निम्न भूमि पर विक्रेता को जो-जो मालिकानाअधिकार, सुखाधिकार, हवा, पानी, रोशनी, रास्ता, आवागमन आदि के प्राप्त है, प्राप्त होने वाले है या भविष्य मे प्राप्त हो सकते है सहित बहक श्री जगदीश चन्द्र बहल पुत्र श्री लाल चन्द, निवासी 13/2 आशीर्वाद एनक्लेव, देहरादून को मु0 1,50,000/-रुपये (एक लाख पचास हजार रुपये) मे बेच दी है यानि हस्तान्तरण कर दी है और विक्रय धनराशि द्वारा ड्राफ्ट नं0 050362 दि0 16.3.2000, यूनियन बैंक आफ इंडिया देहरादून प्राप्त कर ली है जिसके प्राप्ती की अभिस्वीकृति विक्रेता के मुख्तार आम श्री फूल सिंह समक्ष सब रजिस्ट्रार देहरादून देते है । अब विक्रय धनराशि की बाबत कुछ भी लेना शेष नही रहा है ।

1000Rs.

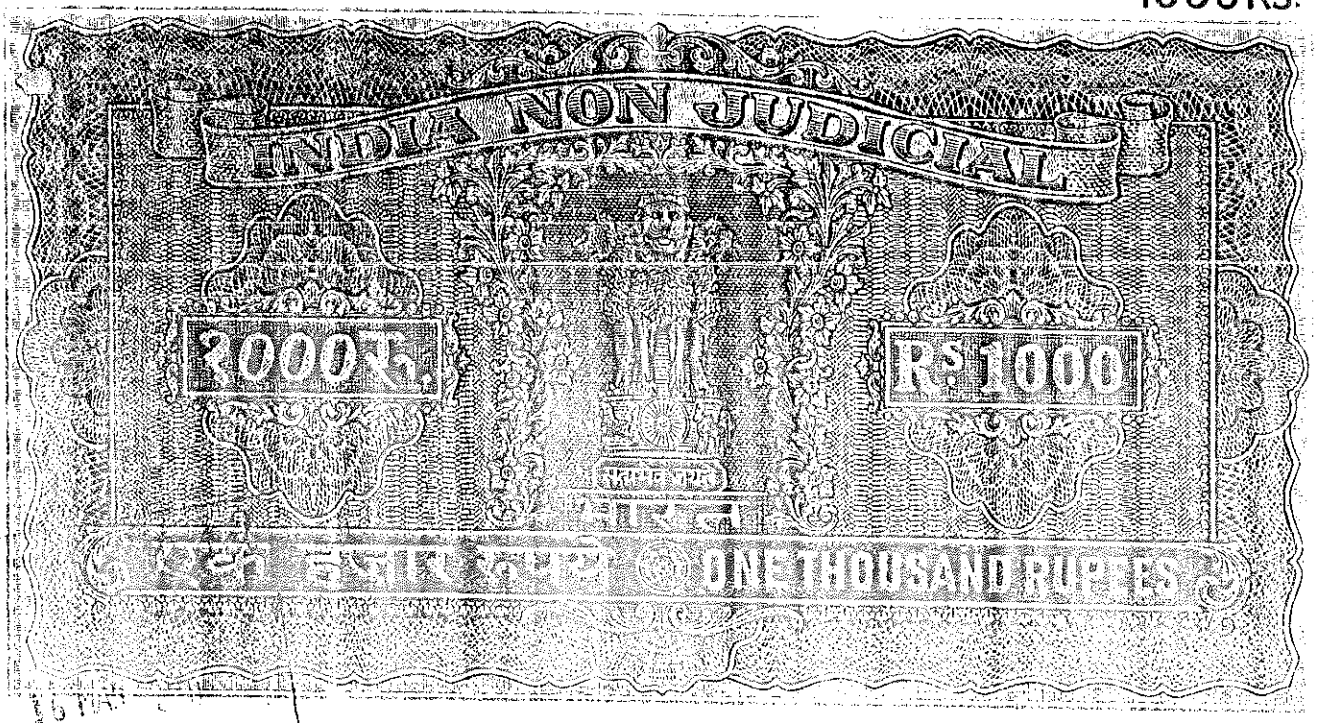

88144

विक्रीत भूमि पर से विक्रेता ने अपना मालिकाना एवं वास्तविक कब्जा हटाकर एवं उठाकर अपनी तरह स्थाल पर भूमि का खाली कब्जा क्रेता उपरोक्त को सौप दिया है आज से क्रेता उपरोक्त विक्रीत भूमि के एक मात्र मालिक स्वामी काबिज हो गये है अब विक्रीत भूमि से विक्रेता का कोई सम्बन्ध व वास्ता नही रहा है ।

1000Rs.

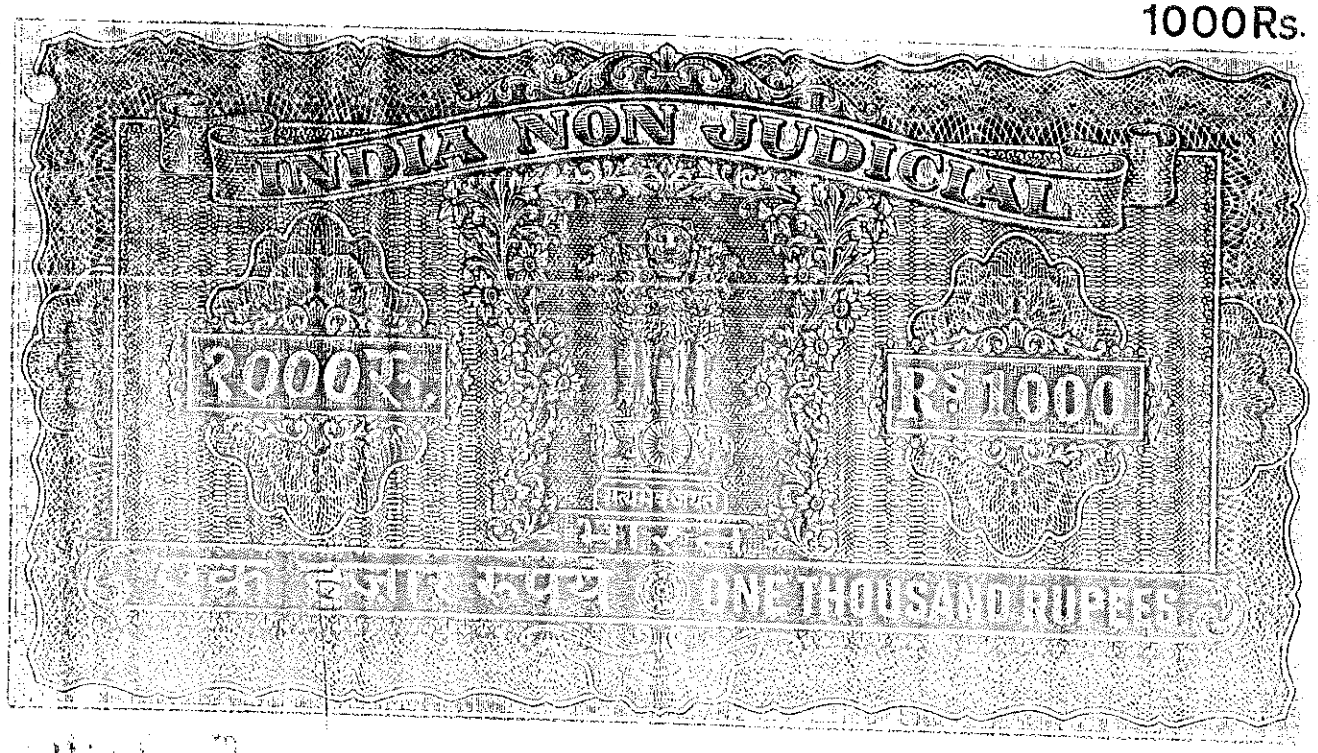

-9-

88145

क्रेता को अधिकार होगा कि वह विक्रीत भूमि पर बतौर मालिक स्वामी काबिज रहकर जिस प्रकार से चाहे अपने उपयोग एवं उपभोग मे लावे, या आगे अन्य को विक्रय- हस्तान्तरण करे, तथा राजस्व अभिलेखो मे से विक्रेता का नाम खारिज करवा कर अपना नाम बतौर भूमिधर दर्ज करावे, इसमे विक्रेता को कोई आपत्ति नही होगी।

-10-

1000Rs.

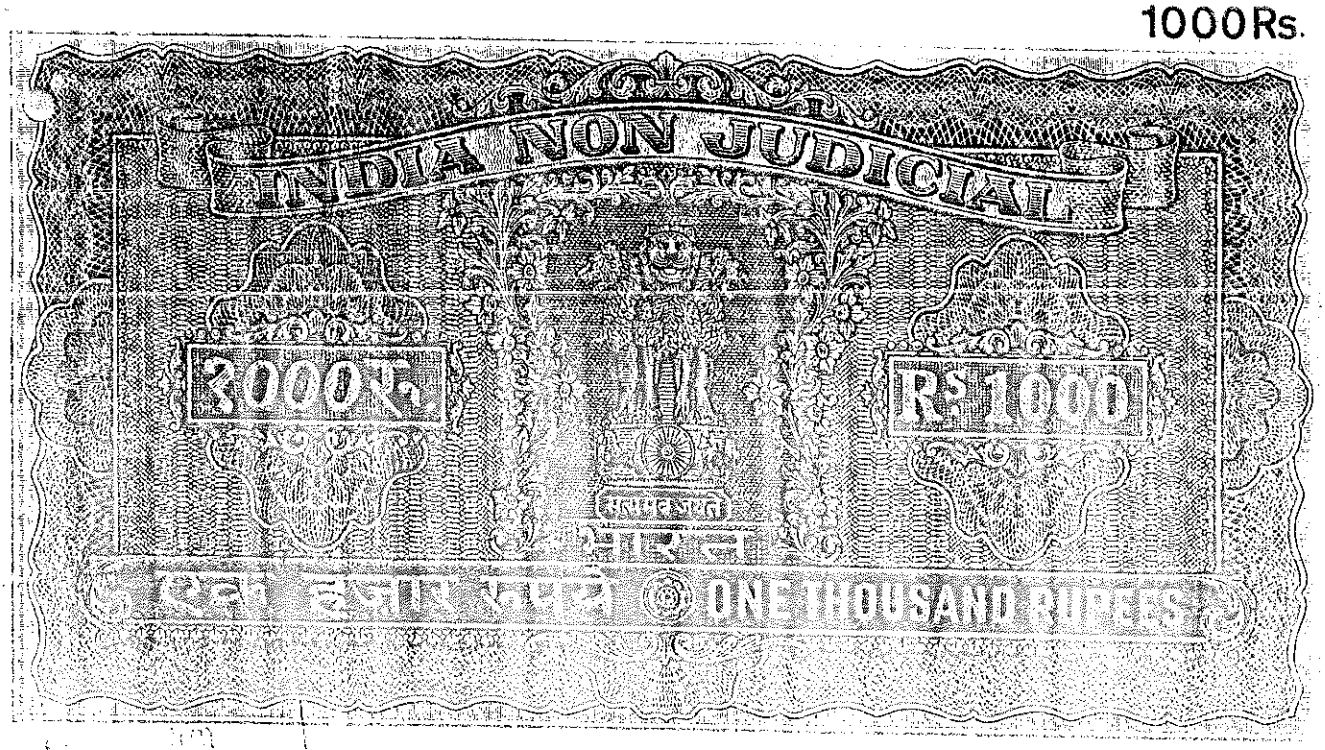

-10-

88146

विक्रीत भूमि पर आज से पूर्व के जो भी लगान, भार, अधिभार आदि पाया जाएगा उन सब को अदा करने की पूर्ण जिम्मेदारी विक्रेता की होगी और आज से यह सब जिम्मेदारी क्रेता की होगी ।

-11-

1000Rs.

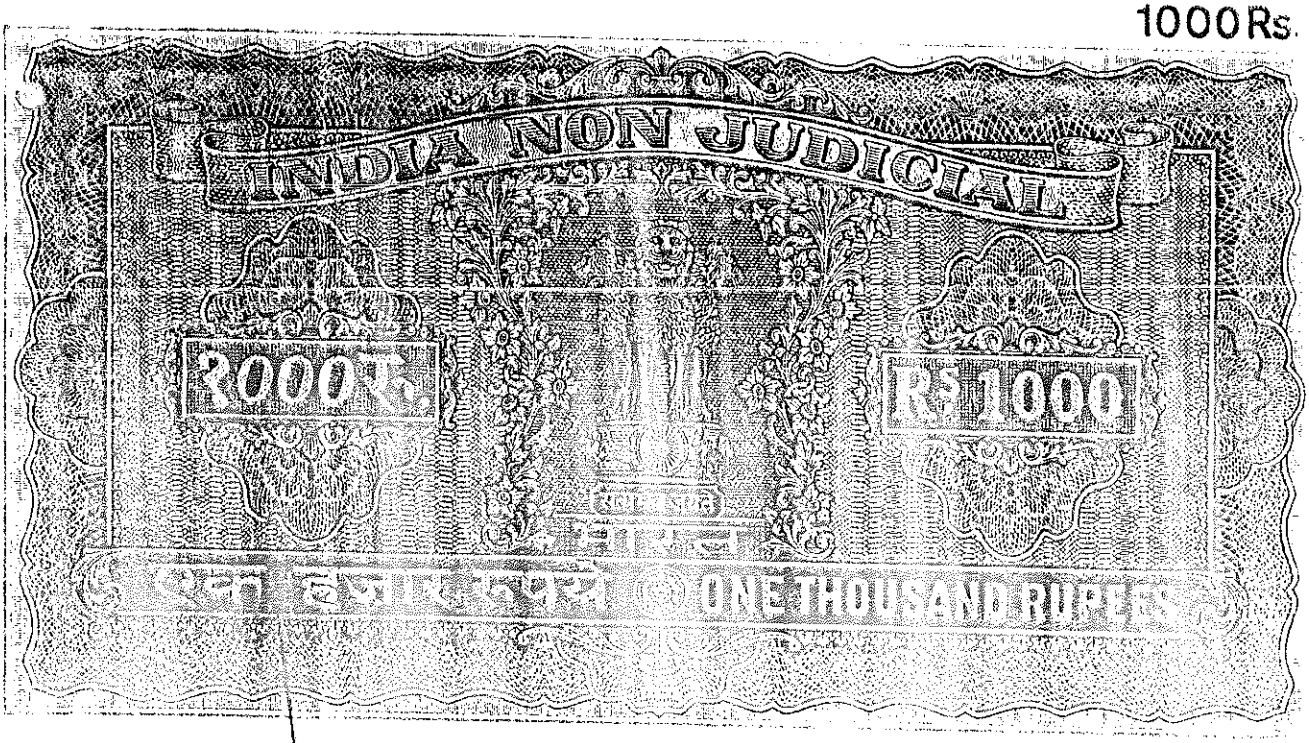

88147

भविष्य मे विक्रीत भूमि के सम्बन्धमे क्रेता को अपने स्वामित्व की पुष्टि हेतु कोई लेखा- विलेख/दस्तावेज लिखाने की आवश्यकता आ जाये तो वह लेखा- विलेख/दस्तावेज मे विक्रेता एवं मेरे वारिसान सदैव क्रेता के व्यय पर लिखाकर देने के लिए तैयार रहेंगे ।

-12-

1000Rs.

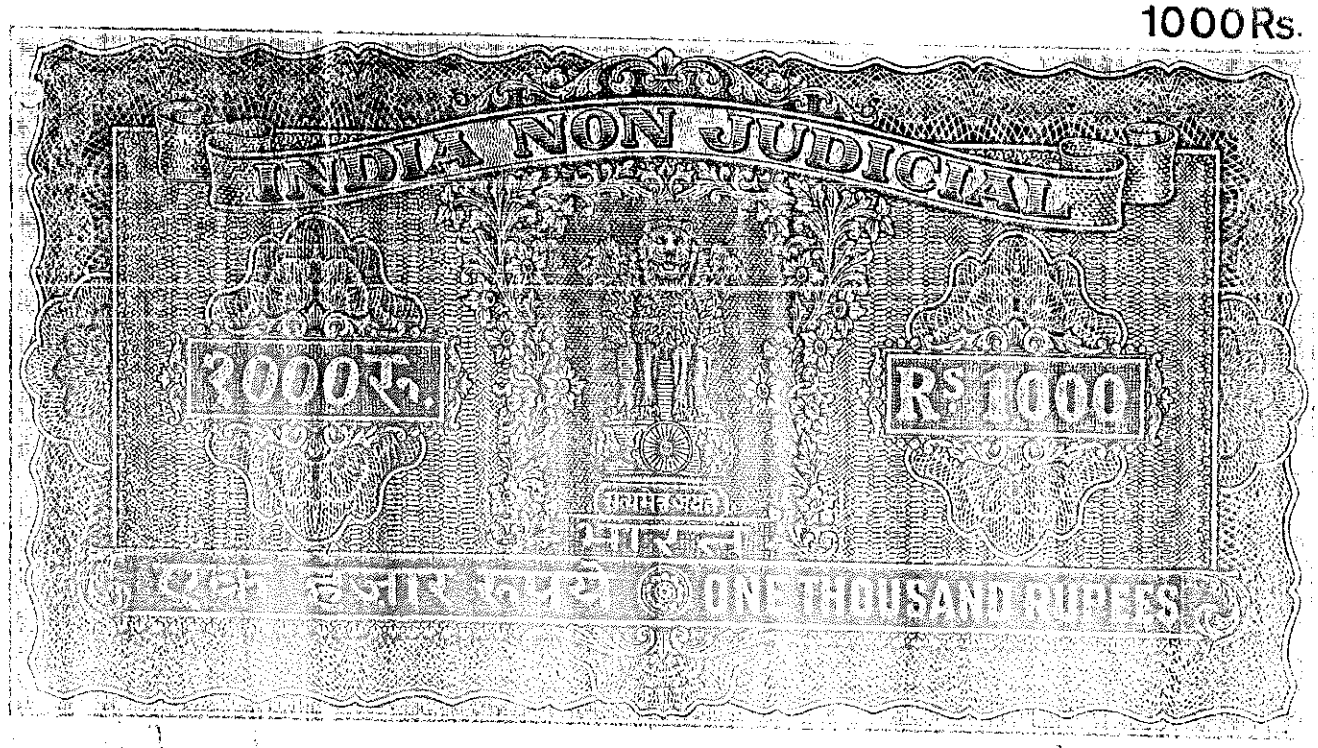

88148

-12-

भविष्य में विक्रीत भूमि या उसका भाग विक्रेता के स्वामित्व की कमी या दोष के कारण क्रेता के स्वामित्व कब्जे से निकल जाती है और निकले हुए भाग से क्रेता को किसी प्रकार की कोई हानि उठानी पड़ती है तो ऐसी दशा में क्रेता को समस्त हानि, खर्चे व हर्जे में विक्रेता अपनी अन्य चल अचल सम्पत्ति से पूर्ण करने को जिम्मेदार रहूँगा।

-13-

1000Rs.

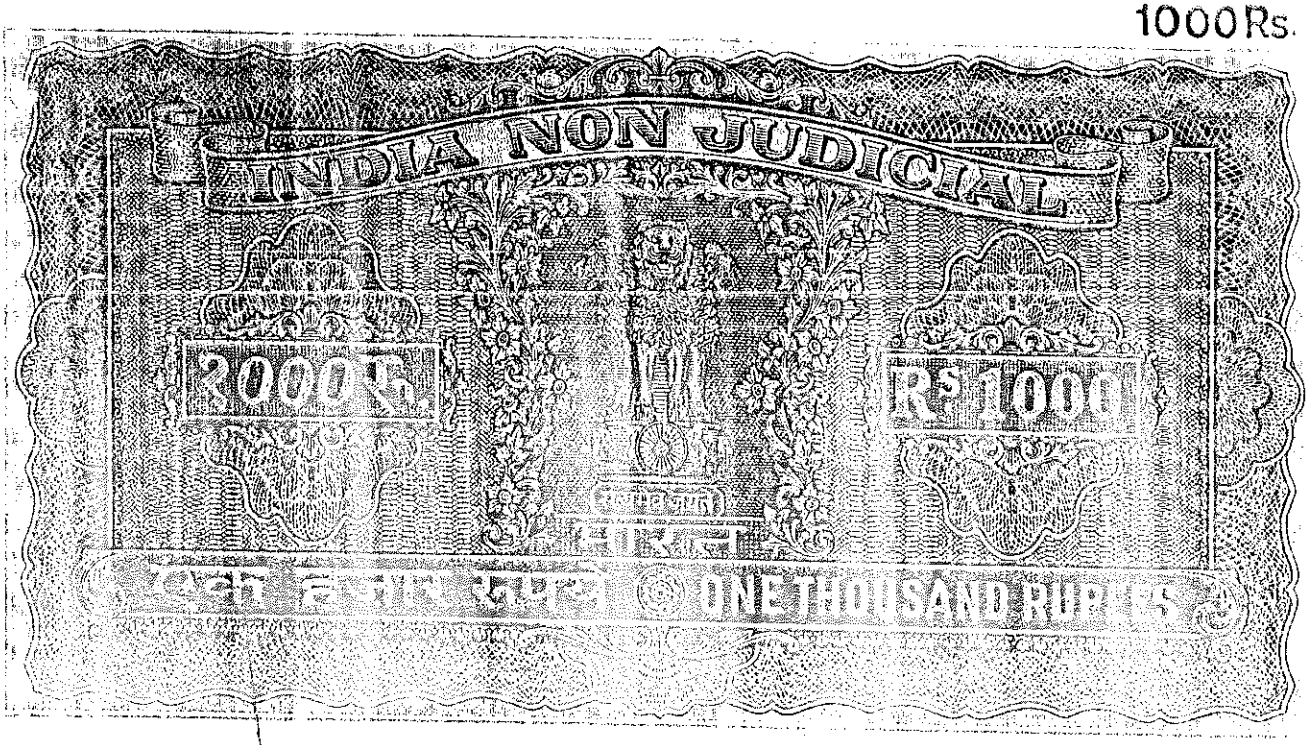

88149

-13-

भूमि मय सर्वाधिकार सहितबेची गयी है इस विक्रय पत्र मे जहाँ-जहाँ शब्द विक्रेता एवं क्रेता का प्रयोग हुआ है वहाँ-वहाँ उनके उनके उत्तराधिकारी, स्थानापन्न, हित प्रतिनिधि, वारिसान आदि सभी का समावेश सम्मिलित समझा एवं माना जावेगा ।

-14-

1000Rs.

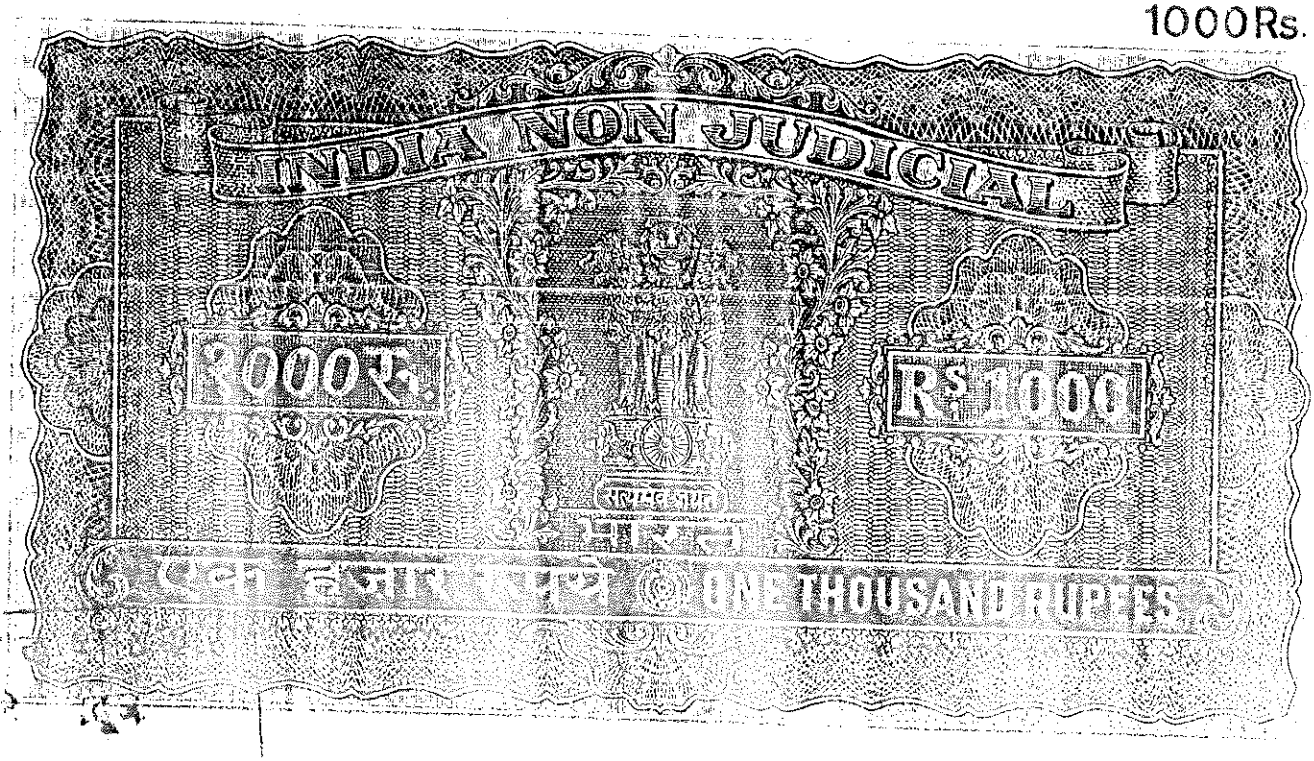

88150

वर्णित विवरण

1- यह कि विक्रेता एवं क्रेता दोनो ही किसी भी अनुसूचित जाति, जनजाति आदि वाली जाति से सम्बन्धित नही है ।

2- यह कि विक्रेता एवं क्रेता के बीच इस भूमि को बावत पूर्व मे कोई भी इकरार नामा संपादित नही हुआ है ।

3- यह कि विक्रीत भूमि नगर पालिका सीमा से बाहर है तथा मुख्य सहारनपुर रोड से लगभग एक कि0मी0 की दूरी पर स्थित है । तथा मुख्य जनरल महादेव सिंह से लगभग आधा कि0मी0 -15- की दूरी पर स्थित है ।

1000Rs.

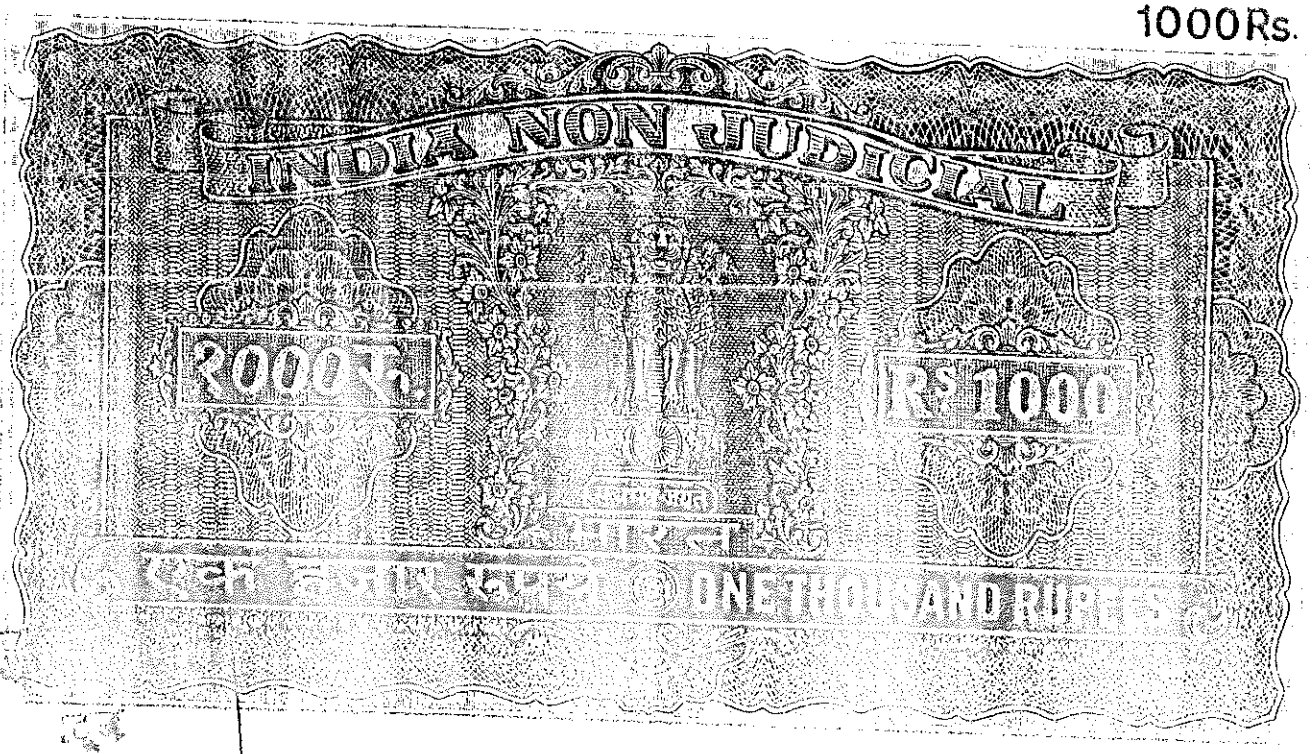

88151

4- यह कि विक्रीत भूमि का सर्किल रेट 450/-रु0 प्रति वर्गमी0 है और सर्किल रेट के अनुसार भूमि का विक्रय मूल्य मु0 376.50×450=1,69,425/- रु0 बनता है जबकि विक्रय मूल्य मु0 1,50,000/-रु0 है और स्टाम्प शुल्क 1,70,000/-रु0 पर नियमानुसार अदा किया गया है ।

5- यह कि विक्रीत भूमि मे कोई पेड़ या बाग नही है और न ही किसी भी औद्योगिक बस्ती मे है ।

6- यह कि विक्रीत भूमि सीलिंग अधिनियम की धारा 5(3), 10(3) एवं 20(1) के प्रावधानो से मुक्त है ।

-16-

1000Rs.

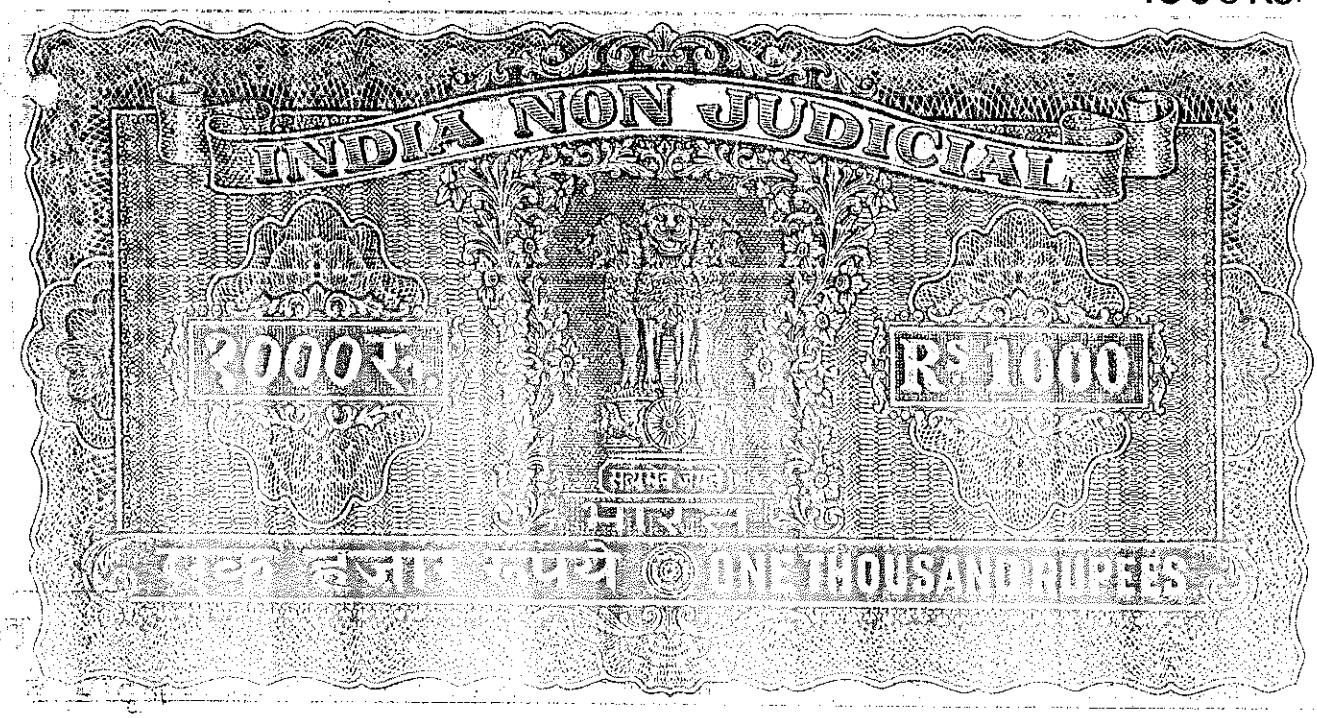

INDIA NON JUDICIAL

१000 रु. Rs 1000

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

-16- 86477

<u>विवरण विक्रीत भूमि</u>

भूमि खसरा नं0 1482 रकबा 376.50 व0मी0 स्थित मौजा ग्राम कांवली परगना केन्द्रीय दून जिला देहरादून जो संलग्न मानचित्र मे लाल रंग से दर्शाया गया है जिसकी सीमाये एंव नाप निम्न प्रकार है :-

पूरब में - नाप 50 फीट, सीमाये रास्ता 25.5 फीट चौडा ।

पश्चिम में- सम्पत्ति श्री आनन्द सिंह , नाप 50 फीट ।

उत्तर में - सम्पत्ति मिथलेश , नाप 81 फीट ।

दक्षिण में - 28 फीट चौडा रोड, नाप 81 फीट ।

-17-

1000Rs.

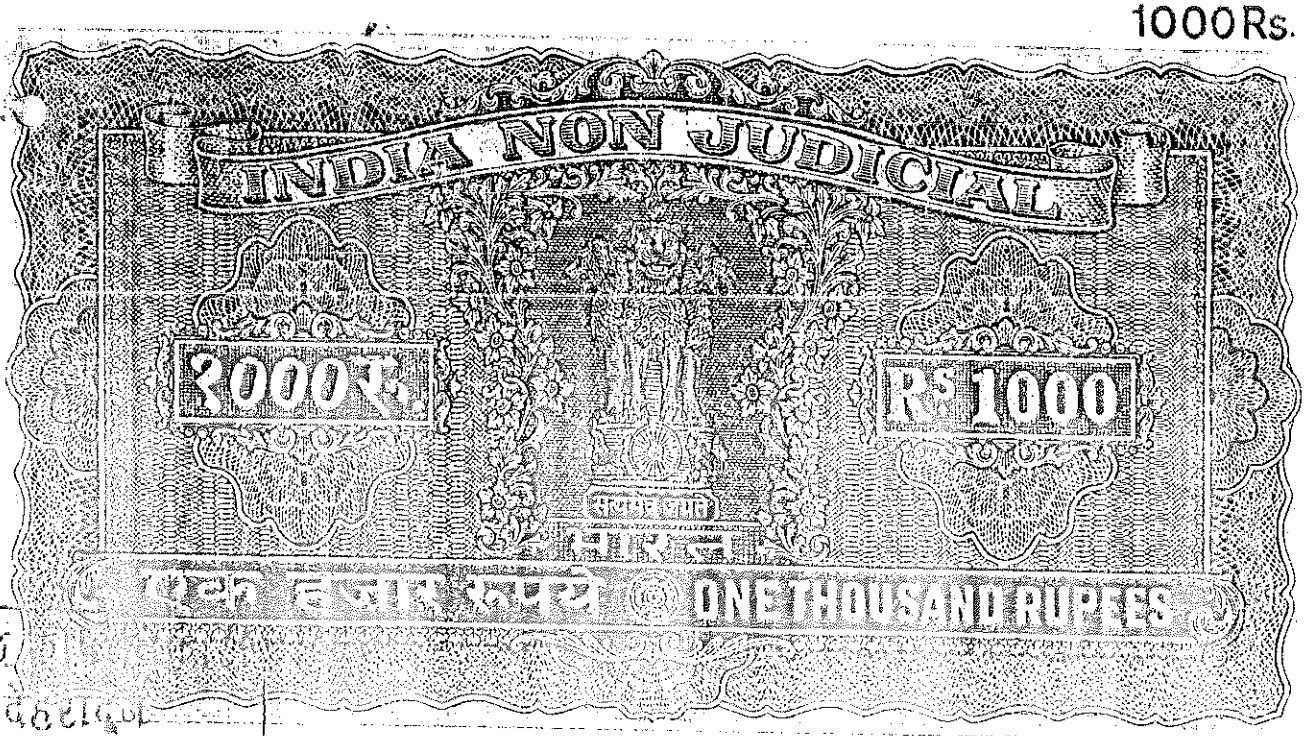

वरिष्ठ ... देहरादून
MAR 2000

-17-

86478

अत: यह विक्रय पत्र आज दि० 28-3-2000, स्थान देहरादून मे लिख दिया ताकि साक्षी रहे और समय पर काम आवे ।

विक्रेता ---- [signature]

(द्वारा मुख्तार आम)

क्रेता ---- [signature]

साक्षी [signature]
आत्माराम पुत्र
श्री [illegible] राम
नि० [illegible] नगर
नई बस्ती [illegible] रोड
देहरादून

साक्षी राधेश्यामसिंह
(राधे श्याम सिंह)
पुत्र श्री मोहन सिंह
नि० ग्राम कांवली 72 नं०
देहरादून

रचियता एवं प्रति सत्यापित Sunil Kumar Advocate DEHRA DUN

टाईपकर्ता - राकेश कुमार । राकेशकुमार

SITE PLAN SHOWING A PIECE
BEARING KHASRA NO. 1481
KANWALI PARGANA CENTRAL
DISTT. DEHRADUN

SELL AREA SHOWN IN RED
MARKED A, B, C, D = 376.50

SOLD BY - SMT. MANJU DIXIT W/O SH.
R/O 53/1 INDER ROAD

SOLD TO -

SCALE :- 1"=20'

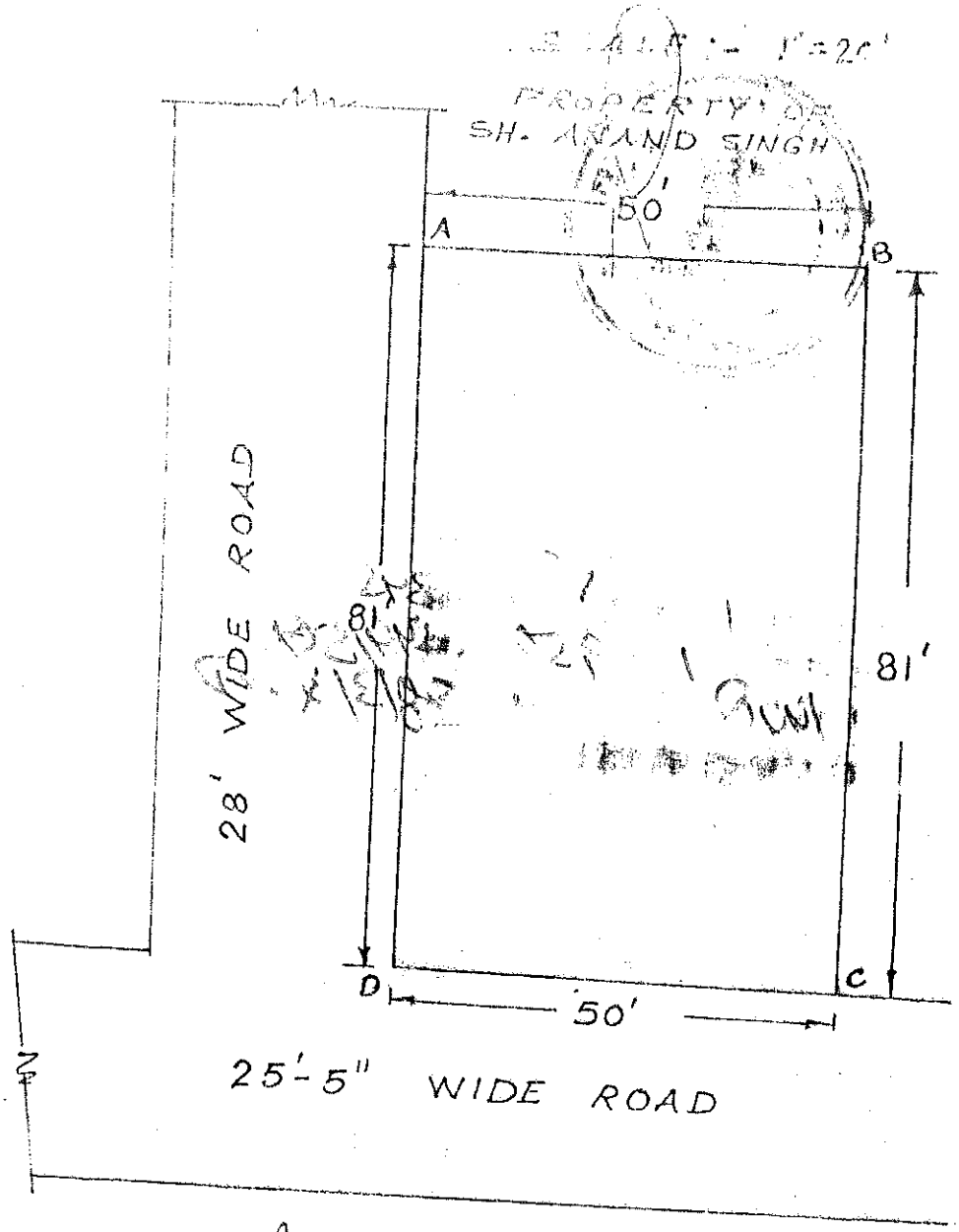

SIG. OF